कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
षष्टम मण्डल, सिंचाई कार्य,
लखनऊ।

अल्पकालीन निविदा सूचना–07/षष्टम्/टी0एस0/2016–17

महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु मुहरबन्द निविदायें वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनाँक– 17.01.2017 को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमन्त्रित की जाती हैं, जो उसी दिन अपरान्ह 4:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में निविदा समिति द्वारा खोली जायेंगी।

निविदा प्रपत्र प्रकाशन की तिथि से दिनाँक– 16.01.2017 सायं 04:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में अधीक्षण अभियन्ता, षष्टम् मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, सीतापुर एवं उन्नाव खण्ड, शारदा नहर, उन्नाव के कार्यालय से (1) पंजीकरण एवं निविदा सूचना में दर्शाये गये उत्तर प्रदेश शासन, सिंचाई अनुभाग–3, शासनादेश संख्या–566/07–27सिं–3–08टी/84, दिनांक 22.02.2007 द्वारा निर्धारित आई.डी.टी.–1, आई. डी.टी.–2 के प्रारूप पर ही जिलाधिकारी द्वारा निर्गत (2) चरित्र प्रमाण–पत्र (IDT-I) व (3) हैसियत प्रमाण–पत्र (IDT-II) की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत की जायेंगी तथा आई.डी.टी.–1, आई.डी.टी.–2 की सत्यापित प्रतियाँ तथा पंजीकरण की सत्यापित प्रति ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जमा की जायेगी, तत्पश्चात् ही ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य जमा कर निविदा प्रपत्र क्रय किये जा सकेंगे। अधिकृत प्रतिनिधि को ठेकेदार द्वारा प्रदत्त अधिकार पत्र जिसमें प्रतिनिधि का हस्ताक्षर प्रमाणित किया हुआ हो, जमा करना होगा, तत्पश्चात् ही अधिकृत प्रतिनिधि निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य देकर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकेंगे।

धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति (राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा पोस्ट आफिस से निर्गत) के रूप में जो कि अधिशासी अभियंता उन्नाव खण्ड, शारदा नहर, उन्नाव के पक्ष में बन्धक होगी, जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। बैंक गारन्टी एवं डाकघर की पासबुक धरोहर धनराशि के रूप में मान्य नहीं होगी। एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा। प्रत्येक निविदादाता को–

1. रू0 100/– के नान–जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक रूपये का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी। इससे पहले निविदा/आफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नियमानुसार देय बिक्रीकर, आयकर, स्टाम्प ड्यूटी, रायल्टी तथा लेबर सेस देनी होगी। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी तथा जमानत की शेष 08 प्रतिशत अवशेष सिक्योरिटी भी जमा करना होगा।

2.

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	खण्ड का नाम	कार्य की अनुमानित लागत(रु0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रूपये में)	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	पंजीकृत श्रेणी
1.	उन्नाव जनपद के अन्तर्गत सिटीजेल ड्रेन के किमी0 0.000 से किमी0 25.300 तक के आन्तरिक सेक्शन सुधार कार्य।	उन्नाव खण्ड, शारदा नहर, उन्नाव	230.00	4,60,000.00	60 दिन	300+200+5% Vat tax	"ए" एवं उच्च श्रेणी

3. यह निविदा सूचना वेबसाइट (http://upgov.up.nic.in/infotech) तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट (http://irrigation.up.nic.in) पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र सिंचाई विभाग के वेबसाइट http://irrigation.up.nic.in से भी डाउनलोड की जा सकती है किन्तु इसकी लागत सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, षष्टम् मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ के नाम राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ IDT-I,IDT-II, IDT-III व अन्य प्रपत्र/अभिलेखों के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाइट से ड्राइंग उपलब्ध न हो सकने की स्थिति में ही अधिशासी अभियंता, उन्नाव खण्ड, शारदा नहर, उन्नाव के कार्यालय से ड्राइंग आदि प्राप्त कर सकेंगे। वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये गये निविदा प्रपत्र और सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालयों में बिक्री के लिये उपलब्ध निविदा प्रपत्र में यदि कोई भिन्नता हो तो इस कार्यालय में उपलब्ध निविदा प्रपत्र ही मान्य होगा। निविदा प्रपत्र सिंचाई विभाग की वेबसाइट (http://irrigation.up.nic.in) पर डाउनलोड न हो सकने की स्थिति में निविदा सूचना में उल्लिखित अन्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही निविदा प्रपत्र क्रय एवं जमा किये जायेंगे।
4. कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
5. राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेंगे। अनुबन्ध/पट्टा गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे अनुबन्ध/पट्टे को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
6. एक निविदादाता केवल एक ही निविदा खरीद व डाल सकेगा।

7. यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता की न्यूनतम बोली की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
8. यह संज्ञान में आने पर कि कोई निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को उसे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो, तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
9. निविदा प्रपत्र रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर के माध्यम से क्रय/जमा करने के इच्छुक पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा निविदा प्रपत्र का मूल्य भेजकर प्राप्त कर सकेंगे, तथा प्रत्येक प्रकार से पूर्ण व सील निविदा को किसी प्रकार रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा द्वारा सम्बन्धित खण्डीय लेखाकार/कैशियर को उनके हस्ताक्षर प्राप्त कराके (निविदा प्राप्त होने के प्रमाणक में) प्राप्त करायी जायेगी, जो प्राप्त निवदाओं को तत्काल एक रजिस्टर में पंजीकृत करेंगे, जिसमें निविदा प्राप्ति का समय व दिनाँक आदि अंकित करके सम्बन्धित खण्डीय अधिकारी को समय से सूचित करेंगे। ताकि अन्य निविदाओं के साथ इस प्रकार प्राप्त निवदाओं को भी निविदा खुलने के पूर्व निविदा बॉक्स में डाला जा सके। प्रतिबन्ध यह रहेगा कि रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा द्वारा कार्यालय को प्रेषित निविदायें निविदा प्राप्त करने की निर्धारित अन्तिम तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व ही प्राप्त की जायेंगी। रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा के विलम्ब के कारण यदि कोई निविदा विलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका उत्तरदायित्व विभाग का नहीं होगा।
10. सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेंगी।
11. **निविदा दिनांक– 17.01.2017 को अपरान्ह 02:00 बजे तक अधीक्षण अभियन्ता, षष्टम मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ में टेण्डर बाक्स में डाली जा सकेंगी।** विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा जमा/खोलने का स्थान में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना निविदा जमा होने के तीन दिवस पूर्व अधीक्षण अभियन्ता, षष्टम् मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ के कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी।
12. चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र व स्वघोषणा प्रमाण पत्र के फर्जी या गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दिये जायेंगे तथा सम्बन्धित ठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल संविदा काली सूची में दर्ज कर लिया जायेगा।
13. प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों में पहले यह परीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता ने IDT-I, IDT-II, IDT-III तथा निर्धारित धनराशि ठीक–ठाक उपलब्ध करायी है या नहीं। इनमें किसी प्रकार की कमी या असन्तोषजनक होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गयी दरें तुलनात्मक विवरण में अंकित नहीं की जायेंगी।
14. अपरिहार्य कारणों से या कार्यस्थल की परिस्थितियों के अनुसार अनुबंध गठित करने अथवा न करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। इसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
15. निविदादाता निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व कार्य एवं कार्यस्थल के बारे में भलीभाँति परिचित हो लें।

(वी0के0 निरंजन)
अधीक्षण अभियन्ता